

डिक्री वमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 557/2024

1. नवदीप सिंह पुत्र श्री कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गुरसिमरन सिंह पुत्र श्री बलकौर सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) जरिये मुखत्यारे आम चचेरा भाई नवदीप सिंह पुत्र श्री कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

— वादीगण

बनाम्

1. जरनैल कौर पत्नी स्व. श्री भाग सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. कुलविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री भाग सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. बलकौर सिंह पुत्र स्व. श्री भाग सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. मनप्रीत कौर पुत्री बलकौर सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) जरिये मुखत्यारे आम पिता बलकौर सिंह पुत्र स्व. श्री भाग सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा नि.संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।


प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़. वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री प्रिंस मिद्धा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार 10000/- रुपये की स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमाकरवाकर प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 45/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.277 है. कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है, इसी प्रकार वादीगण की दादी प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 50/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.464 है. कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है, इसी प्रकार वादीगण की दादी प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 52/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.464 है. कृषि भूमि का

HC
सहायक कलक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी
संगरिया

वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है, इसी प्रकार वादीगण की दादी प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 75/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.464 है. कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है, इसी प्रकार वादीगण की दादी एवं पिता प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 21 ए.एम.पी. के खाता सं. 33/18 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 6.037 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाता है तथा वादीगण के पिता प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 21 ए.एम.पी. के खाता सं. 61/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.889 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज...... नल...... मुब्लिक...... निल...... बाबत्...... निल...... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...... अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक... 21.1.2025 ...को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कार्यालय एवं
उपखण्ड अधिपति संगरिया
संगरिया